नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 143
दि. 25.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर फडणवीस सरकार: अवैध बार ड्रग्स माफिया और लापरवाह अस्पतालों पर कड़ा शिकंजा

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में उस समय तीव्र हलचल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्य की कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की सख्त और निर्णायक रणनीति का ऐलान किया। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब अवैध गतिविधियों, ड्रग्स तस्करी, अश्लीलता और गरीब मरीजों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री के बयानों और प्रस्तावित कदमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ‘एक्शन मोड’ में आ चुकी है और राज्य में कानून के शासन को मजबूत करने के लिए कठोर उपाय लागू किए जाएंगे।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने राज्य में लापता होती महिलाओं, ड्रग्स नेटवर्क, अवैध डांस बार और चैरिटेबल अस्पतालों की लापरवाही जैसे कई गंभीर मुद्दे उठाए। इन सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि सरकार इन समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इनके समाधान के लिए व्यापक और स्थायी कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से ऑर्केस्ट्रा बार की आड़ में चल रही अवैध और अश्लील गतिविधियों पर सरकार ने कठोर रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि अब ऐसे बारों का लाइसेंस केवल निलंबित नहीं किया

जाएगा, बल्कि स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में फिर से संचालन नहीं कर सकें।

सरकार 2016 के ‘अश्लील नृत्य निषेध अधिनियम’ में बड़े संशोधन करने की तैयारी कर रही है, ताकि अब तक मौजूद कानूनी खामियों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई के बाद भी बार संचालक कानूनी loopholes का फायदा उठाकर फिर से अपने प्रतिष्ठान खोल लेते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत इस प्रकार की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। साथ ही, बार में डांसरों पर करेंसी नोट उड़ाने की प्रथा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि ग्राहक टिप देना चाहते हैं, तो उन्हें इसे भोजन या पेय पदार्थ के बिल में ही शामिल करना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और अवैध लेन-देन पर रोक लगाई जा सके।

राज्य सरकार ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी ऐतिहासिक और कठोर कार्रवाई की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब ड्रग्स तस्करों को साधारण अपराधियों की तरह नहीं, बल्कि संगठित अपराधियों के रूप में देखा जाएगा और उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका अर्थ है कि पुलिस को अब ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, उनके वित्तीय स्रोतों को समाप्त करने और पूरे गिरोह को ध्वस्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। इससे ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई और अधिक प्रभावी और निर्णायक बन सकेगी। मुख्यमंत्री ने कूरियर कंपनियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके माध्यम से ड्रग्स की तस्करी होती है, तो कंपनी और उसके मालिक को भी सह-आरोपी माना जाएगा। अब कंपनियां यह कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगी कि उन्हें पार्सल की जानकारी नहीं थी। यह कदम ड्रग्स नेटवर्क के पूरे आपूर्ति तंत्र को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके साथ ही, यदि किसी पुलिस अधिकारी की ड्रग्स तस्करी में संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे केवल निलंबित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही ड्रग्स तस्करी पर भी कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ड्रग्स की बिक्री के लिए किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सक्रिय किया गया है। यह टास्क फोर्स राज्य भर में डिजिटल निगरानी और खुफिया कार्रवाई के माध्यम से ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करने के लिए काम कर रही है।

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर हालात को भी उजागर किया। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान कुल 93,940 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 67,458 को पुलिस ने सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला, जबकि 26,482 महिलाएं अभी भी लापता हैं। हालांकि पुलिस ने लगभग 73.5 प्रतिशत मामलों में सफलता प्राप्त की है, फिर भी यह आंकड़े राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ‘ऑपरेशन मुस्कान’ जैसे विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके तहत हजारों बच्चों और महिलाओं को उनके परिवारों से मिलाया गया है।

नदियों को बचाने की जिम्मेदारी अब एनजीटी के हाथ: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—स्वच्छ जल हर नागरिक का मौलिक अधिकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की जीवनरेखा मानी जाने वाली नदियों की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाया है। अदालत ने प्रदूषित नदियों से जुड़े 2021 के स्वतः संज्ञान मामले को औपचारिक रूप से बंद करते हुए इसकी निगरानी और आगे की कार्यवाही की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को सौंप दी है। इस फैसले के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त जल तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसके संरक्षण के लिए संस्थागत निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जो न केवल न्यायिक प्रक्रिया बल्कि पर्यावरण संरक्षण की प्रशासनिक संरचना को भी प्रभावित करती हैं। अदालत ने कहा कि देश में सैकड़ों नदियां हैं और उनमें प्रदूषण से जुड़े मामलों की संख्या भी अत्यधिक है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के लिए हर नदी के प्रदूषण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान, जैसे कि एनजीटी, तकनीकी विशेषज्ञता और निरंतर निगरानी के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

यह मामला मूल रूप से जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने देश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी। उस समय अदालत ने विभिन्न राज्यों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से रिपोर्ट मांगी थी और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारणों और समाधान पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एनजीटी पहले से ही इसी विषय पर व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा था और विभिन्न राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे चुका था।

इस पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि समानांतर कार्यवाही से बचने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की निगरानी एनजीटी को सौंप दी जाए। अदालत ने एनजीटी की प्रधान पीठ को निर्देश दिया कि वह इस मामले को फिर से खोले और नदियों के प्रदूषण की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखे। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई न बरती जाए।

अदालत की इस टिप्पणी का विशेष महत्व है कि स्वच्छ जल का अधिकार केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है, जो सीधे नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या में स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल को भी शामिल किया गया है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है।

देश की नदियों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नदियों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थ नदियों में मिलकर उनके पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसका प्रभाव न केवल जल की गुणवत्ता पर पड़ता है, बल्कि इससे जुड़े जीव-जंतु, कृषि और मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा असर होता है।

एनजीटी को इस मामले की निगरानी सौंपने का निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्था पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञता रखती है और इसके पास वैज्ञानिक, तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है। एनजीटी न केवल मामलों की सुनवाई करता है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और व्यावहारिक निर्देश भी जारी करता है। इसके पास विभिन्न राज्यों और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी शक्ति है।

इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर अपनी सक्रिय भूमिका को बनाए रखते हुए संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देना चाहता है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि मामले की निगरानी एक सक्षम और विशेषज्ञ संस्था द्वारा की जाए, जिससे दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान संभव हो सके।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय नदियों के संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे निगरानी की प्रक्रिया अधिक संगठित और प्रभावी होगी। निरंतर निगरानी से प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। साथ ही, यह निर्णय राज्यों और उद्योगों को भी यह संदेश देता है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस फैसले का व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की संभावना है।

शिक्षक भर्ती घोटाले की परतें फिर खुलीं: ईडी के समन से बढ़ी सियासी और कानूनी हलचल

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बार फिर जांच की आंच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बिभास अधिकारी को पूछताछ के लिए तलब कर नई हलचल पैदा कर दी है। बिभास अधिकारी को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य का करीबी सहयोगी माना जाता है, और उनका नाम पहले भी इस कथित भर्ती अनियमितता से जुड़े कई पहलुओं में सामने आ चुका है। इस ताजा समन ने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है और यह संकेत दिया है कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यह मामला केवल एक प्रशासनिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, युवाओं के भविष्य और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता जैसे गंभीर सवाल जुड़े हुए हैं। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिसमें योग्य उम्मीदवारों की जगह कथित रूप से पैसे और प्रभाव के आधार पर नियुक्तियां की गईं। इस घोटाले के सामने आने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग को लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था।

बिभास अधिकारी का नाम इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनका संबंध सीधे तौर पर माणिक भट्टाचार्य से जुड़ा बताया जाता है, जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उनके सहयोगियों और संपर्कों की गहन जांच शुरू की थी, जिसमें बिभास अधिकारी का नाम प्रमुखता से सामने आया। हालांकि, बाद में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, लेकिन जांच की प्रक्रिया लगातार जारी रही।

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करती है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में अवैध रूप से धन का लेन-देन हुआ और यदि हुआ, तो वह पैसा किन माध्यमों से और किन लोगों तक पहुंचा। इस संदर्भ में बिभास अधिकारी से पूछताछ महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे कई तथ्य और जानकारियां हो सकती हैं जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में मदद कर सकती हैं।

इस मामले में केवल ईडी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी समानांतर रूप से जांच कर रही है। सीबीआई ने पहले ही बिभास अधिकारी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था और उनके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। जांच एजेंसियों ने बीरभूम जिले के नलहाटी सहित उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मिलने का दावा किया गया था। इन दस्तावेजों की जांच के आधार पर एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

बिभास अधिकारी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह निजी बी.एड और डी.एल.एड कॉलेज संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पद के कारण उनका शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संपर्क था, और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन संपर्कों का उपयोग भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया गया था। यह पहलू जांच के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार का नेटवर्क सक्रिय था और उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

इस पूरे मामले का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक है। विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। वहीं, सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए जांच प्रक्रिया का सामना कर रहा है। इस प्रकार यह मामला केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील बन गया है।

जांच एजेंसियों के इस कदम से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे इस मामले को अंत तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईडी द्वारा जारी समन यह दर्शाता है कि एजेंसी अब भी नए तथ्यों और साक्ष्यों की तलाश में है और इस मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। इससे यह संभावना भी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह समाज के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को यदि अवसर नहीं मिलता, तो इससे उनकी आशाओं को ठेस पहुंचती है और व्यवस्था पर उनका विश्वास कमजोर होता है।

अंततः, बिभास अधिकारी को ईडी द्वारा तलब किया जाना इस बात का संकेत है कि जांच अब भी सक्रिय है और एजेंसियां इस मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूछताछ से क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इससे इस लंबे समय से चल रहे विवादित भर्ती घोटाले में कोई निर्णायक मोड़ आता है। यह मामला न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है।

एआई समिट विवाद में बढ़ा राजनीतिक तूफान, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब चार दिन की पुलिस रिमांड पर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे ने अब गंभीर राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया है। इस मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जिससे इस पूरे मामले की जांच और तेज हो गई है। चिब को तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां पुलिस ने उन्हें सात दिन की हिरासत में लेने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल चार दिन की रिमांड मंजूर की है। पुलिस का आरोप है कि एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन और सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर प्रवेश करने की घटना के पीछे चिब की अहम भूमिका थी और उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों को आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई थी।

यह घटना उस समय हुई जब नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा था। यह समिट तकनीक, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें देश-विदेश के कई विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी अचानक कार्यक्रम स्थल के भीतर प्रवेश कर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे कार्यक्रम में कुछ समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता

से लेते हुए जांच को अपनी इंटर-स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दिया है। पुलिस का मानना है कि यह कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि प्रदर्शनकारियों को किस प्रकार की सहायता मिली, किसने उन्हें निर्देश दिए और क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ा संगठनात्मक नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस का यह भी कहना है कि इस घटना से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रभावित हो सकती थी, इसलिए इसकी गहन जांच आवश्यक है।

इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्ष की आवाज को दबाना है। कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है और सरकार इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध भारत की ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है और यह हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपने युवा साथियों पर गर्व है, जिन्होंने देश के हित में अपनी आवाज उठाई। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती है और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग पहले ही बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, और ऐसे समय में उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों की आलोचना से बचने के लिए विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और इस प्रकार की कार्रवाई से डरने वाली नहीं है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर लोकतंत्र, विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। एक ओर पुलिस और सरकार का कहना है कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, वहीं विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। यह विवाद केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के मुद्दे से जुड़ गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं। यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से परेशान न किया जाए। इस मामले का परिणाम न केवल संबंधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के प्रति लोगों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है।

फिलहाल उदय भानु चिब पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां उनसे घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह घटना केवल एक विरोध प्रदर्शन थी या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीति थी। इस पूरे घटनाक्रम पर देशभर की नजर बनी हुई है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया इस मामले को किस दिशा में ले जाती है।

संपादकीय

शर्मसार करता है पूर्वोत्तर के लोगों से दुर्व्यवहार

यह कोई नई बात नहीं है कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ उनकी कद-काठी व संस्कृति को लेकर कहीं शेष देश में अभद्रता की गई हो। यहां तक कि एक बार तो पूर्वोत्तर के एक मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में यह कहते रो पड़े थे कि उन्हें भारतीय तक नहीं समझा जाता है। बीते साल मई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को 'हमारे विविधता के राष्ट्र में सबसे विशिष्ट क्षेत्र' बताया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बार-बार भारत के इस विशिष्टता वाले पूर्वोत्तर को तरह-तरह से लांछित किया जाता रहा है। विडंबना है कि इन राज्यों के लोग अक्सर नस्लीय भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। कुछ समय पूर्व देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के दो महीने से भी कम समय बाद, दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं को उनके पड़ोसियों ने कुत्सित शब्द 'धंधेवाली' से संबोधित किया और मोमो बेचने को कहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि उन्हें अपने ही देश में, और वह भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में बेगाना करार दे दिया गया। विडंबना यह है कि यह अभद्रता किसी झगड़े या आवेश की प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि यह पहचान और जातीयता पर लक्षित हमला था। इस घटनाक्रम के बाद एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर धर्म, जाति व जन्मस्थान आदि के आधार पर कटुता फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। निस्संदेह, इस दंपति के आपत्तिजनक व्यवहार ने एक गहरे जख्म को ही उजागर किया है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा को सिरे से खारिज करने वाली सोच है। साल 2014 में नीदो तानिया की हत्या से लेकर 2025 में अंजेल चकमा की हत्या तक, यह दुराग्रहों का सिलसिला साफ नजर आता है। अक्सर आरोप लगाये जाते रहे हैं कि पूर्वोत्तर के छात्रों व श्रमिकों को उनकी शारीरिक बनावट, खान-पान और भाषा के आधार पर निशाना बनाया जाता है।

यह विडंबना ही है कि कुछ संकीर्ण लोग भारत की समृद्ध विविधता की विरासत का मर्म नहीं पहचानते हैं। किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व सदियों से चली आ रही संस्कृति हमारे रूप-रंग-भाषा व व्यवहार का निर्धारण करती है। कोस-कोस पर भाषा-पानी बदलने वाले देश की यह विविधता इसकी खूबसूरती भी है। इसके मर्म का सम्मान करना व अंगीकार करना हर भारतीय का दायित्व भी है। पर्वतीय इलाकों का परिवेश व जलवायु व्यक्ति के सरल, सहज, सौम्य व्यवहार व कद-काठी का भी निर्धारण करती है। पूर्वोत्तर समाज में स्त्री प्रधान पारिवारिक व्यवस्था तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी महती भूमिका को शेष देश के लोगों द्वारा संशय से देखा जाता है। फलतः परस्पर विश्वास की इस सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की भूमिका को लेकर नकारात्मक धारणाएं गढ़ ली जाती हैं। यही वजह है कि पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता कि उनकी महिलाओं को शक की नजर से देखा जाता है और उन पर बिना किसी आधार के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप तक लगाए जाते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्षेत्रीय पहचान को लेकर किए जाने वाले किसी भेदभाव के प्रति अक्सर चेताया है। निस्संदेह, कालांतर में पैदा होने वाली नस्लीय शत्रुता इस घटनाक्रम का ही एक घिनौना रूप है। हाल ही के दिल्ली प्रकरण में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है सामाजिक श्रेष्ठता का दावा करना, किसी बड़े राजनेता से संबंध होने का रौब दिखाना और दूसरे को कमतर मान कथित 'औकात' के नाम पर उपहास करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह विशेषाधिकार जताने की भावना और गलत धारणा दर्शाती है कि कुछ भारतीय खुद को दूसरे भारतीयों से श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाले हुए हैं। दिल्ली की घटना की तीन पीड़ितों के वकील, जो सिक्किम से आते हैं, ने दो टूक शब्दों में कहा है- 'हम भी उतने ही भारतीय हैं, जितने कोई और।' निर्विवाद रूप से प्रत्येक भारतीय को देश में कहीं भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। शासन-प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करना कि किसी भी नागरिक को इस अधिकार से वंचित न किया जा सके, सही मायनों में भारत में बहुलवाद की वास्तविक परीक्षा भी है।

उचित दाम और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए

> "कुछ दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय और बीज विकास संस्थानों को हाशिये पर रखकर नियमों को उदार करके निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बना दिया गया।

कृषि मंत्रालय ने बीज संशोधन बिल 2025 का मसौदा जारी किया है, जिस पर 11 दिसंबर तक सार्वजनिक सुझाव मांगे गए थे। हमारे आसपास आज जो बीज हैं, उनकी विशेषताएं लाखों सालों के विकास से समुदायों ने अर्जित की हैं। बीज विज्ञान के प्रारंभ से पहले भी किसान अपनी निगाह से उन्नत किस्म के बीज तैयार करते थे, जिससे पैदावार अधिक होती थी। हालांकि, कृषि विज्ञान के विकास के बाद आधुनिक शोध ने बीज और उत्पादकता में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।

निःसंदेह, बीज के भीतर भी एक बीज होता है उसमें 'जीन कोड' होते हैं जो पौधे के गुणों और उसकी विशेषताओं को अगली पीढ़ी की फसल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। विभिन्न किस्मों के पौधों के मिश्रण से नई शंकर-हाइब्रिड किस्म निकाली जाती है। यह काम वैज्ञानिक लोग आधुनिक यंत्रों और तकनीक से करने लगे हैं जिसे 'जेनेटिक इंजीनियरिंग' कहते हैं। इससे पौधों की ऊंचाई, दाने या फल का आकार व रंग और भीतर के प्रोटीन आदि तत्व भी डाले जा सकते हैं। इस तकनीक से अगर खिलवाड़ की जाए तो उसके बहुत ही ख़तरनाक परिणाम भी निकल सकते हैं।

वर्ष 1960-65 की 'हरित क्रांति' उत्पादन के मामले में भारत ने जो आत्मनिर्भरता हासिल की, उसमें अधिक उपज देने वाली गेहूं, चावल की नई किस्में तैयार करने का अहम योगदान था। उस समय बीज, दवाई, उर्वरक आदि पर निजी कंपनियों का विशेष नियंत्रण नहीं था और ये तमाम प्रबंध सरकारी विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ही किये गए थे। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवेश के चलते और कृषि उपकरणों समेत बीज, दवाई आदि के मामले में देशी-विदेशी कंपनियों ने पैठ बना ली। सरकार किसानों के नाम पर जो सब्सिडी देती थी, उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं कंपनियों के खाते में जाने लगा है।

हरित क्रांति के उपरांत बीज के क्षेत्र में निजी कंपनियों ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। अंधाधुंध मुनाफे के लिए ज्यादा उत्पादन के दावे किए गए। लेकिन कीट व बीमारी के प्रकोप बढ़ गए क्योंकि पुराने बीजों में जो कुदरती तौर पर प्रतिरोधी गुण बीजों ने ग्रहण किए थे उनका क्षरण होने लगा। प्राइवेट कंपनियों ने कीटनाशक दवाइयां बेचने के लिए इसे भी एक अवसर की तरह देखा। यहां बीटी कॉटन का उदाहरण सामने है। गुलाबी सुंडी की प्रतिरोधक क्षमता के दावे करके महंगे बीज बेचे गए और गुलाबी सुंडी से कपास उत्पादक किसानों की व्यापक बर्बादी हुई। निःसंदेह, बहुस्तरीय और कई साल की ट्रायल के बाद ही बीज की नई किस्मों को स्वीकृति मिलती है। उसके बाद ही बीज को बेचे जाने की अनुमति मिल सकती है। बिक्री करने वाली कंपनी को विधिवत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन किसान अपने बचे हुए बीज को बेचने, बदलने, विकसित करने और उसे स्टाक करने के अधिकार भी रखता है। बीज नियमों के संचालन और निगरानी को लेकर बीज अधिनियम-1966 बना था, जिसके तहत ये आवश्यक प्रावधान हैं। क्वालिटी के बीज के दावे किए गए मापदंड, कंपनियां यदि पूरे न करें या उगने का प्रतिशत कम हो तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल, कुछ दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय और बीज विकास संस्थानों को हाशिये पर रखकर नियमों को उदार करके निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बना दिया गया। आज 70 प्रतिशत देशी-विदेशी बीज कंपनियां निजी क्षेत्र की बीज मार्केट पर काबिज हो चुकी हैं। 56 प्रतिशत बीज की मार्केट पर मात्र 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण है। किसानों को अब इन्हीं कंपनियों के रहमो-करम पर निर्भर रहना पड़ता है। होना तो यह चाहिए था है कि क्वालिटी बीज का शोध, उत्पादन, वितरण सस्ते दामों पर सुलभता से सार्वजनिक व सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ही किसान को सुनिश्चित किया जाता। लेकिन बीज बिल 2025 लाकर केंद्र सरकार बीज के विषय का अति केंद्रीयकरण करना चाहती है। इस मसौदे में एक राष्ट्रीय कमेटी बनाने का प्रावधान है, जिसमें 5-7 राज्यों के ही प्रतिनिधि होंगे और कोई भी मामला नीतिगत है या नहीं, इस पर केंद्र का निर्णय अंतिम होगा।

बिल के प्रस्तावित मसौदे में यदि कोई विदेशी बीज कंपनी अपने देश में ही बीज परीक्षण के ट्रायल करके यदि गुणवत्ता संबंधी स्वयं सत्यापन कर देगी तो वह भी मान्य होगा। ये बहुत घातक प्रावधान है। बीज संबंधी कानूनों का उद्देश्य गुणवत्ता का बीज सस्ते दामों पर किसान को मुहैया करवाने का होता है। इस आशय का आश्वासन ड्राफ्ट में नहीं है। संसद में बताया गया कि 2022 से 2025 के बीच 43001 बीज के नमूने विफल पाए गए। आज जरूरी है कि केंद्र व राज्यों की बीज कमेटियों में कम से कम तीन किसान प्रतिनिधि भी शामिल किये जाएं। बिल मसौदे के चैप्टर 5 के भाग 27 में विदेश के बीजों की वहीं पर दी गई प्रामाणिकता को मंजूरी प्रदान किए जाने के प्रावधान को हटाया जाए। इसमें मूल्य निर्धारण के किसान हितैषी प्रावधान किए जाएं, और जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग या इजारेदारी पर कड़ी रोक लगाई जाए। स्थानीय स्तर के स्वयं सहायता समूहों और बीज सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए।

प्रेरणा

परिवर्तन का प्रकाश: विनाश नहीं, निर्माण ही सच्चा समाज सुधार है

समाज में परिवर्तन की आवश्यकता हर युग में महसूस की जाती रही है। जब भी समाज में अन्याय, भेदभाव या कुरीतियां बढ़ती हैं, तब कुछ जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति उन्हें दूर करने का संकल्प लेते हैं। परंतु यह प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण रहा है कि समाज सुधार का सही मार्ग क्या होना चाहिए। क्या समाज को अचानक झटका देकर, उसकी परंपराओं को तोड़कर सुधार लाया जा सकता है, या फिर धैर्य, समझ और निर्माण के माध्यम से ही स्थायी परिवर्तन संभव है। इस प्रश्न का उत्तर महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के जीवन और विचारों में स्पष्ट रूप से मिलता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुधार वही है, जो समाज को तोड़े नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाए।

एक बार एक युवक उनके पास आया, जो समाज में फैली बुराइयों से अत्यंत दुखी और क्रोधित था। उसने कहा कि समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है, जब तक पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाए। उसके विचारों में उत्साह था, परंतु उस उत्साह में संतुलन और दूरदृष्टि का अभाव था। रानाडे ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर बहुत ही शांत स्वर में उससे एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि यदि एक पुराना घर जर्जर हो जाए, तो क्या उसे तुरंत गिराकर खुले आकाश के नीचे बैठ जाना उचित होगा, या पहले एक मजबूत आधार तैयार करके नया घर बनाना अधिक बुद्धिमानी होगी। युवक इस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे यह समझ में आने लगा कि केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बेहतर विकल्प का निर्माण करना भी आवश्यक है।

रानाडे का यह विचार केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि उनके जीवन का मूल सिद्धांत था। उन्होंने समाज की समस्याओं को गहराई से समझा और उन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक मार्ग अपनाया। उन्होंने विधवा-विवाह का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उस समय विधवाओं को समाज में उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। उन्हें जीवन भर दुख और अकेलेपन में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। रानाडे ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि मानवता और न्याय किसी भी परंपरा से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्त्री-शिक्षा को भी समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण आधार माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह शक्ति है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाती है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी समाज का वास्तविक विकास संभव होगा। उस समय बहुत से लोग महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रानाडे ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से इस सोच को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक शिक्षित महिला केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकती है।

रानाडे केवल विचारों के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। वे प्रार्थना समाज से जुड़े थे, जो समाज में समानता और सुधार के लिए कार्य करता था। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह समझाया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता और नैतिकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समाज की सच्ची शक्ति उसकी एकता और नैतिकता में होती है, न कि अंधविश्वास और भेदभाव में।

एक न्यायाधीश के रूप में भी उनका जीवन अत्यंत प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने पद का उपयोग हमेशा न्याय और सत्य की रक्षा के लिए किया। उनके लिए न्याय केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी था। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत विचारों को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने हर निर्णय निष्पक्षता और तर्क के आधार पर लिया। यह उनके चरित्र की महानता और उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है।

उनका मानना था कि समाज सुधार केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि लोगों की सोच को बदलना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने, उन्हें शिक्षित करने और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी समाज पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है। उनका विश्वास था कि जब लोग स्वयं परिवर्तन की आवश्यकता को समझेंगे, तभी वास्तविक और स्थायी सुधार संभव होगा।

उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और समझ के बिना कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। क्रोध और अधीरता से किया गया कार्य अक्सर नुकसान पहुंचाता है, जबकि धैर्य और विवेक से किया गया कार्य समाज को नई दिशा देता है। उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मार्ग को अपनाया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी।

आज के समय में, जब लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और धैर्य की कमी होती जा रही है, रानाडे का जीवन हमें सही मार्ग दिखाता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा सुधार वही है, जो समाज को जोड़ता है, न कि उसे तोड़ता है। हमें समाज की समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रयास करना चाहिए।

समाज एक वृक्ष की तरह होता है, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। यदि हम उसे अचानक उखाड़ देंगे, तो वह नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि हम उसकी देखभाल करेंगे, उसकी कमजोर शाखाओं को हटाएंगे और उसे पोषण देंगे, तो वह फिर से मजबूत और सुंदर बन जाएगा। यही सिद्धांत समाज सुधार पर भी लागू होता है।

महादेव गोविंद रानाडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा समाज सुधार विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण में होता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि धैर्य, करुणा और विवेक के साथ किया गया प्रयास ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके समय में था। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और प्रगतिशील भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं।

Rashtrapati Bhavan में Chakravarti Rajagopalachari की 'वापसी' से Tamilnadu Elections पर क्या असर पड़ेगा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गई है जहां पहले ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा लगी थी। सरकार ने इसे औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह कार्यक्रम राजाजी उत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि राजाजी ने स्वतंत्रता के बाद अपने कक्ष में रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के चित्र लगाए थे, जो मानसिक उपनिवेशवाद से मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति भवन में अब ब्रिटिश अधिकारियों के चित्रों के स्थान पर परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए जा रहे हैं और परिसर को आम जनता के लिए अधिक खुला बनाया गया है। बाद में राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने तथा भारत माता की सेवा में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भेजे गए एक संदेश में कहा कि राजाजी और महात्मा गांधी के बीच गहरे आपसी विश्वास और मित्रता से चिह्नित घनिष्ठ संबंध थे जो सर्वविदित हैं।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। मोदी सरकार का तर्क है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की इंडिया गेट के निकट स्थापना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास, नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और कई औपनिवेशिक नामों के परिवर्तन इसी क्रम में देखे जा रहे हैं।

राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा हटाकर राजाजी की स्थापना इसी वैचारिक धारा का विस्तार है। यह केवल एक प्रतिमा का परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रतीकों की राजनीति के माध्यम से इतिहास की पुनर्व्याख्या है। संदेश स्पष्ट है कि सत्ता के केंद्र में अब औपनिवेशिक स्मृति नहीं, भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व होगा।

इस कदम की जहां देशभर में सराहना हो रही है वहीं ब्रिटेन के लेखक मैट रिडले ने खेद व्यक्त किया, क्योंकि लुटियंस उनके परदादा थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दुख है कि उनके परदादा की प्रतिमा हटा दी गई। किंतु भारतीय संदर्भ में यह परिवर्तन एक व्यापक वैचारिक पुनर्स्थापन का संकेत देता है।

हम आपको बता दें कि राजगोपालाचारी, जिन्हें स्नेहपूर्वक राजाजी कहा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1948 से 1950 तक इस पद पर कार्य किया। वह उसी भवन में रहे थे जिसे कभी वायसराय हाउस कहा जाता था और जो ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। अब उसी भवन की भव्य सीढ़ियों के निकट उनकी प्रतिमा स्थापित होना इतिहास के एक चक्र के पूर्ण होने जैसा प्रतीत होता है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में तमिलनाडु में हुआ था। वह पेशे से वकील थे, वह स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी बने और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी रहे। स्वतंत्रता के बाद वह भारत के गवर्नर जनरल बने। राजाजी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह लेखक, विचारक और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने तमिल में रामायण और महाभारत की लोकप्रिय व्याख्याएं लिखीं। वह नैतिक राजनीति और सादगी के प्रतीक माने जाते थे।

हालांकि उनका राजनीतिक जीवन जटिलताओं से भरा रहा। 1937 में मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रीमियर के रूप में उन्होंने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया, जिसका तीव्र विरोध हुआ और द्रविड आंदोलन को बल मिला। बाद में वह हिंदी थोपने के विरोध में भी खड़े हुए। 1959 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो आर्थिक स्वतंत्रता और मिनिमम गवर्नेंस की पक्षधर थी। 1967 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस चुनाव ने राज्य की राजनीति में कांग्रेस वर्चस्व का अंत कर दिया। इस दृष्टि से वह तमिल राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के बीच सेतु के रूप में देखे जाते हैं।

जहां तक इस कदम को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखे जाने की बात है तो आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड दलों के वर्चस्व में रही है। भाषा, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता वहां के प्रमुख मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ऐसे में राजाजी की प्रतिमा की स्थापना का समय महत्वपूर्ण है। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कदम प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है। राजाजी एक ऐसे तमिल नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित रहे। वह द्रविड दलों से जुड़े नहीं थे, परंतु तमिल समाज में उनका सम्मान है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार ने तमिल सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने का प्रयास किया है। राजाजी की प्रतिमा उसी कड़ी का अगला कदम प्रतीत होती है। यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि तमिल परंपरा और राष्ट्रीयता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। इससे भाजपा को यह कहने का अवसर मिलेगा कि वह तमिल गौरव को राष्ट्रीय सम्मान दे रही है।

देखा जाये तो मोदी सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी यदि औपनिवेशिक प्रतीक सत्ता के केंद्र में बने रहें तो मानसिक स्वतंत्रता अधूरी है।

अभियान

होलाष्टक: आत्मचिंतन, संयम और आंतरिक जागरण का पवित्र अवसर

भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व केवल बाहरी उत्सव का माध्यम नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर छिपे आध्यात्मिक तत्व को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। फाल्गुन मास में आने वाला होलाष्टक ऐसा ही एक विशेष समय है, जो होली के आठ दिन पूर्व आरंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। यह अवधि केवल पंचांग की एक तिथि नहीं, बल्कि मन, आत्मा और विचारों की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। होलाष्टक शब्द स्वयं में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है—'होला' अर्थात होली और 'अष्टक' अर्थात आठ दिन। यह आठ दिन बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर झांकने, स्वयं को समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्रदान करते हैं।

लोक परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन आठ दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है। यह उग्रता केवल भौतिक अर्थों में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय वातावरण में अस्थिरता और चंचलता अधिक होती है, जिससे व्यक्ति के निर्णय और भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, नया व्यापार या किसी भी नए कार्य की शुरुआत को इस अवधि में टालने की सलाह दी जाती है। यह परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य के लिए उचित समय और संतुलित मानसिक अवस्था आवश्यक होती है।

होलाष्टक का संबंध पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें भक्त प्रह्लाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की कथा आती है। प्रह्लाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानते थे। जब प्रह्लाद ने अपने पिता की पूजा करने से इंकार किया, तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दीं। माना जाता है कि ये यातनाएं होली से पहले के आठ दिनों में दी गई थीं। अंततः होलिका दहन के दिन सत्य और भक्ति की विजय हुई और प्रह्लाद सुरक्षित रहे। यह कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और परीक्षाओं के बाद ही सत्य और धर्म की विजय होती है। होलाष्टक इसी परीक्षा, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है।

धार्मिक दृष्टि से यह समय भोग से विरक्ति और आत्मसंयम का समय माना जाता है। यह वह अवधि है जब व्यक्ति अपने बाहरी जीवन से अधिक अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है। जप, तप, व्रत, दान और आत्मचिंतन जैसे कार्यों को इस समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि ये सभी कार्य व्यक्ति के मन को शांत करते हैं और उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक संतुलन आवश्यक है।

होलाष्टक का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यह हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। आज के आधुनिक जीवन में हर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, बिना यह सोचे कि वह निर्णय सही है या नहीं। इस जल्दबाजी में कई बार व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, जिसका परिणाम उसे बाद में भुगतना पड़ता है। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी रुकना भी आवश्यक होता है। यह रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। जब हम रुककर सोचते हैं, तो हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ ले सकते हैं।

यह अवधि मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में व्यक्ति लगातार तनाव, चिंता और मानसिक दबाव में रहता है। काम का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल दुनिया का प्रभाव व्यक्ति के मन को थका देता है। होलाष्टक इस मानसिक थकान से राहत पाने का अवसर प्रदान करता है। इसे एक प्रकार का मानसिक विश्राम भी कहा जा सकता है। यह समय व्यक्ति को अपने भीतर की शांति को खोजने और अपने विचारों को संतुलित करने का अवसर देता है।

आधुनिक संदर्भ में होलाष्टक को एक प्रकार का 'डिजिटल डिटॉक्स' भी माना जा सकता है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हम लगातार सूचनाओं, संदेशों और प्रतिक्रियाओं के बीच घिरे रहते हैं। यह निरंतर संपर्क हमारे मन को अशांत और अस्थिर बना देता है। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि कुछ समय के लिए इन सभी चीजों से दूरी बनाकर अपने मन को विश्राम देना आवश्यक है। जब हम बाहरी शोर से दूर होते हैं, तभी हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं।

होलाष्टक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने संबंधों और भावनाओं को सुधारने का अवसर देता है। जीवन में कई बार हम अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं या स्वयं किसी के व्यवहार से आहत हो जाते हैं। ये भावनाएं हमारे मन में नकारात्मकता पैदा करती हैं। होलाष्टक हमें यह अवसर देता है कि हम अपने पुराने गिले-शिकवे भूल जाएं और अपने संबंधों को नए सिरे से मजबूत करें। यह समय क्षमा, करुणा और प्रेम को अपनाने का समय है।

यह अवधि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा उत्सव केवल बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में होता है। जब तक मन में अशांति और नकारात्मकता होती है, तब तक कोई भी उत्सव वास्तविक आनंद नहीं दे सकता। होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि यह अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त करने का प्रतीक है। होलाष्टक इस उत्सव की तैयारी का समय है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने मन के सभी नकारात्मक भावों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है।

होलाष्टक का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह हमें यह सिखाता है कि हर उत्सव से पहले आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यह परंपरा हमें अनुशासन, धैर्य और संयम का महत्व समझाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से प्राप्त होती है।

आज के समय में, जब जीवन अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है, होलाष्टक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यह हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर विचार करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें।

अंततः, होलाष्टक केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। जब हमारा मन शुद्ध और शांत होता है, तभी हम जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। होलाष्टक हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करें और अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतुलन को अपनाएं। यही इस पवित्र अवधि का वास्तविक उद्देश्य और संदेश है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा कपडवंज एवं मोडासा स्टेशनों का निरीक्षण,जनप्रतिनिधियों व हितधारकों के साथ किया विस्तृत संवाद

जीएनएस)। परिचालन दक्षता की समीक्षा, आधारभूत संरचना के विकास कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज, 24 फरवरी, 2026 को मंडल के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ तोरणा गुडस शेड, कपडवंज रेलवे स्टेशन तथा मोडासा रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मोडासा रेलवे स्टेशन पर माननीया सांसद शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और परिचालन संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने तोरणा गुडस शेड में माल ढुलाई कार्यों की समीक्षा की तथा स्थानीय हितधारकों से संवाद किया। बैठक में उन्होंने ट्रेन परिचालन में सुधार, माल की सुगम आवाजाही, तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई। श्री भडके ने समयबद्ध लोडिंग एवं अनलोडिंग सुनिश्चित करने के लिए बेहतर ग्राहकों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया।

कपडवंज रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने मंडल के अधिकारियों सहित नगर पालिका के सदस्यों तथा स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक की। बैठक में रोड अंडर ब्रिज (RUB) के चौड़ीकरण तथा संपर्क मार्गों के सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिससे यातायात सुगम हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। श्री भडके ने आश्वासन दिया कि उठाए गए मुद्दों पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मोडासा रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने माननीया सांसद शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया, नगर पालिका के सदस्यों तथा एपीएमसी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। बैठक में नडियाद–शामलाजी रेल संपर्क को सुदृढ़ करने, सुरक्षा की दृष्टि से लेवल क्रॉसिंग (LC) गेटों के युक्तिकरण एवं बंद करने, गेहूं की लोडिंग, उर्वरक की अनलोडिंग तथा अन्य परिचालन संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

श्री भडके ने दोहराया कि वडोदरा मंडल सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-हितैषी रेल सेवाएं प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह दौरा जनप्रतिनिधियों, नागरिक निकायों एवं व्यापारिक हितधारकों के साथ सक्रिय सहभागिता का प्रतीक है, जिससे विकासात्मक एवं परिचालन संबंधी प्राथमिकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

वैश्विक साझेदारी की नई उड़ानः सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने निवेश, तकनीक और सुरक्षा सहयोग को दी नई दिशा

सिंगापुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और आधुनिक विकास के मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाली बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री एवं व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक एवं गृह मंत्री के. शनमुगम से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग, शहरी विकास और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की। यह मुलाकात न केवल उत्तर प्रदेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग का भी प्रतीक मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य का उल्लेख करते हुए सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और यहां औद्योगिक विकास, शहरी नियोजन और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने सिंगापुर के नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एक अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार किया गया है, जहां निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य की 'प्रो-बिजनेस' नीतियों, बढ़ते लैंड बैंक और तेज़ी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रतिनिधियों के सामने राज्य में विकसित हो रहे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नोएडा में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि रोजगार के लाखों नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक के दौरान सिंगापुर की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। सेमीकंडक्टर उद्योग वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और भारत सरकार भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश होने से राज्य की औद्योगिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और यह देश के तकनीकी विकास में भी योगदान देगा। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश से राज्य को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के गृह मंत्री के. शनमुगम के साथ बैठक में आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने तकनीक-आधारित पुलिसिंग, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। सिंगापुर विश्व के सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित देशों में से एक माना जाता है और उसकी सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मॉडल से प्रेरणा लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवॉड्र्स 2026 में पश्चिम रेलवे दो पुरस्कारों से सम्मानित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। जून से नवंबर 2025 के दौरान RPF ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया। इस अवधि के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार हैः

1. रेलवे अधिनियमः अहमदाबाद डिविजन ने रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 14,211 मामले दर्ज किए और इन अभियोजनों के दौरान 14,92,721 का जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

2. ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्तेः ऑपरेशन नन्हे फ़रिश्ते के तहत अहमदाबाद, साबरमती, मणिनगर, महेसाणा सहित अन्य स्टेशनों से 69 नाबालिग बच्चों और 8 असहाय पुरुष/महिलाओं को बचाकर उनके माता-पिता, अभिभावक, चाइल्डलाइन या पुलिस को सुरक्षित सौंपा गया। मानवता से जुड़े इस कार्य ने RPF की संवेदनशीलता और तत्परता को उजागर किया।

3. ऑपरेशन अमानतः ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत 211 लावारिस या खोए हुए सामान, जिनकी कुल कीमत 62,98,194 थी, RPF द्वारा बरामद कर यात्रियों को लौटाए गए।

4. ऑपरेशन सतर्कः अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन सतर्क में अहमदाबाद, साबरमती तथा कांकरिया यार्ड में 4,26,428 मूल्य की अवैध शराब के 47 मामले पकड़े गए और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर GRP को सौंपा गया। यह अभियान रेलवे परिसरों में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ।

5. रेल मददः Rail Madad पर प्राप्त 2,825 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इन शिकायतों का औसत निस्तारण समय मात्र 0.06 मिनट रहा, जो RPF की दक्षता और त्वरित सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राप्त 973 फीडबैक में से 898 यात्रियों ने उत्कृष्ट या संतोषजनक रेटिंग दी।

6. ऑपरेशन रेल सुरक्षाः रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RP(UP) एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 22 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 21 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगा कर 46 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

7. ऑपरेशन यात्री सुरक्षाः यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RPF ने चोरी और अन्य अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की। यात्रियों के सामान चोरी के मामलों में 8 आरोपियों को पकड़ा गया और उन्हें GRP के हवाले किया गया। इसके अलावा BNS की विभिन्न धाराओं के 36 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

8. CCTV के माध्यम से सफलताः अहमदाबाद स्टेशन पर CCTV निगरानी का प्रभावी उपयोग करते हुए चोरी के 10 मामलों का पता लगाया गया, जिससे अपराध नियंत्रण में तकनीक की भूमिका और मजबूत हुई।

9. ऑपरेशन समय पालनः ट्रेनों की समयपालन क्षमता (punctuality) को सुधारने के लिए भी RPF ने प्रभावी अभियान चलाया। अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के 924 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 859 मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन किया गया।

10. जन जागरणः यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता देने के लिए RPF ने नियमित रूप से जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ट्रैक पार न करना, नशा मुक्ति, पत्थरबाजी रोकथाम, महिला सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई। स्टेशन पर PA सिस्टम, बैनर, पोस्टर और RDN स्क्रीन के माध्यम से भी संदेश प्रसारित किए गए।

11. ट्रेन एस्कॉर्टिंगः ट्रेन एस्कॉर्टिंग के क्षेत्र में अहमदाबाद डिविजन ने उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिदिन औसतन 20 महत्वपूर्ण रात की ट्रेनों में RPF जवान तैनात किए गए, जबकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन औसतन 7 मिश्रित (महिला+पुरुष) दल एस्कॉर्टिंग में लगाए गए। इससे रात के समय यात्रा कर रहे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।

12. लेवल क्रॉसिंग गेट मामलेः रेलवे फाटक क्षति के 69 मामलों में से 64 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ।

13. वारंट निष्पादनः इसके अतिरिक्त, रेलवे अधिनियम और RP(UP) एक्ट से संबंधित कुल 74 वारंट भी RPF टीम द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए, जो उनके कानूनी दायित्वों के प्रति सजगता और कार्यकुशलता को दर्शाते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद डिविजन के लिए जून से नवंबर 2025 की अवधि उपलब्धियों से परिपूर्ण रही। यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति संरक्षण और जन-जागरूकता के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया है, बल्कि यात्रियों के विश्वास को भी मजबूत किया है। RPF अहमदाबाद डिविजन आगे भी इसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सेवा, सुरक्षा और सतर्कता की भावना से कार्य करता रहेगा।

कडोदरा पुलिस के खिलाफ पक्षपात के आरोप, 30 लाख मामलों में एफएसएल रिपोर्ट पर विवाद

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शिकायतकर्ता अशोककुमार मुन्नालाल साहू ने 9 जनवरी 2024 को सूरत के कडोदरा पुलिस स्टेशन में आरोपी दीपक जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती मिनुबेन राजेशभाई जोशी और राजेशभाई जोशी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। दो साल बीत जाने के बावजूद एफएसएल रिपोर्ट न मिलने से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। साथ ही, यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कडोदरा पुलिस आरोपियों को परोक्ष रूप से बचाने की कोशिश कर रही है। फिर भी, यह समझ से परे है कि पुलिस को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। एक ओर शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पूरे 30,00,000 रुपये दिए, और आरोपी राजेश जोशी ने पैसे लेने के बारे में अपनी डायरी पर हस्ताक्षर किए। सीसीटीवी फुटेज और पैसे लेने के फोटो सबूत होने के बावजूद, कडोदरा पुलिस दो साल की जांच के बाद भी एफएसएल रिपोर्ट न मिलने का बहाना बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर रही है और समय बर्बाद कर रही है।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने दिनांक 31/05/2012 के दस्तावेज़ संख्या 2842 और दिनांक 31/05/2012 के दस्तावेज़ संख्या 2843 की फोटोकॉपी देखने के बाद तीनों आरोपियों से 55,00,000/- रुपये (पचपन लाख रुपये) लेने का निर्णय लिया और तीसरे आरोपी राजेश जोशी को 30,00,000/- रुपये (तीस लाख रुपये) नकद दिए। प्राप्त धन की रसीद शिकायतकर्ता को उसके हस्ताक्षर वाली डायरी के रूप में दी गई थी, आरोपियों द्वारा धन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज का फोटो सबूत भी मौजूद है, और दस्तावेज़ तैयार करने के बाद, आरोपियों ने शेष 25,00,000/- रुपये (पच्चीस लाख रुपये) देने का वादा किया था।

अब जब शिकायतकर्ता अशोक कुमार साहू ने बार-बार आरोपियों से शेष राशि स्वीकार करने और दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा, तो आरोपी नंबर 1 दीपक जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने विदेशी होने का बहाना बनाकर आज तक न तो दस्तावेज़ पेश किया है और न ही 30,00,000 रुपये की पूरी राशि नकद ली है। इससे तंग आकर शिकायतकर्ता कडोदरा पुलिस स्टेशन से उच्च न्यायालय में मुकदमा कर रहा है, लेकिन कडोदरा पुलिस एफएसएल रिपोर्ट का बहाना बनाकर समय बर्बाद कर रही है और परोक्ष रूप से आरोपियों का बचाव कर रही है। स्थिति अब इस तरह बिगड़ गई है कि पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि राजस्थानी प्रवासी मारवाड़ी समुदाय का एक गरीब आदमी पुलिस के सामने बेबस खड़ा है जैसे कि वह कोई वेश्या हो, और कडोदरा का एक निजी जांच अधिकारी आरोपियों को अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर शिकायतकर्ता का मजाक उड़ा रहा है और उस पर हंस रहा है?

हाल ही में, कुछ दिन पहले, आरोपी नंबर 3 राजेश जोशी ने शिकायतकर्ता को इमारत बेचकर डायरी पर हस्ताक्षर करके पैसे लिए थे। पैसे लेते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। हालांकि आरोपी ने शिकायतकर्ता को बेची गई संपत्ति का दस्तावेजीकरण नहीं कराया था, फिर भी वह 40 कमरों वाली इमारत के प्रशासक के पास किराया लेने गया, और शिकायतकर्ता की पत्नी ने उसे देख लिया। जब आरोपी राजेश जोशी पकड़ा गया, तो शिकायतकर्ता की पत्नी ने अशोक साहू को फोन करके आरोपी को बताया कि पति-पत्नी दोनों आरोपी को बताने ही वाले थे। इससे भड़के आरोपी ने पति-पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। इसलिए, जब पति-पत्नी ने आरोपी को पकड़कर अपनी दुकान पर ले गए, तो आरोपी के साथ मौजूद एक व्यक्ति भाग गया और काडोदरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शिकायतकर्ताओं और आरोपियों को काडोदरा पुलिस स्टेशन ले गई और शिकायतकर्ताओं को शाम तक हिरासत में रखा। वहां, असली शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी की बात सुनने के बजाय, चोर ने कोतवाल को इस तरह डांटा जैसे कि शिकायतकर्ता ही आरोपी हो। पुलिस ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि उसने आरोपी का अपहरण किया है और उसकी पिटाई की। इसलिए, वहां मौजूद पीएसआई ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ अपराध किया जाएगा।

संक्षेप में कहें तो, कडोदरा पुलिस निष्पक्ष नहीं है। कडोदरा पुलिस शिकायतकर्ता को आरोपी मानकर कडोदरा पुलिस चौकी में रखे हुए है, वहीं सूरत जिला परपंतीय समिति के अध्यक्ष छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा ने कहा है कि यदि शिकायतकर्ता दोषी है, तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, छगनलाल मेवाड़ा ने राजस्थानी मारवाड़ी समुदाय के प्रति गुजरात पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये की निंदा की है और पूरे समाज से मारवाड़ी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए मांग की है कि पूरे मामले की जांच एक उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और सच्चाई सामने आए।

आगामी होली पर्व के मद्देनज़र अहमदाबाद मंडल द्वारा विशेष यात्री प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाएँ

जीएनएस)। आगामी होली त्योहार के अवसर पर यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। होली पर्व के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 684 ट्रेन ट्रिप्स संचालित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

▸▸ इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु ठोस एवं प्रभावी प्रबंध करने के निर्देश दिए गए।

▸▸ **यात्री सुविधाएँ एवं भीड़ प्रबंधन**

▸▸ **यात्री होल्डिंग एरिया**

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन

▸▸ कालूपुर साइड

कालूपुर साइड के होल्डिंग एरिया को तीन भागों में विभाजित किया जाएगाः

1. मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर लगभग 43,056 वर्ग फुट
2. पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम (PRS कार्यालय के पास स्थित वर्तमान होल्डिंग एरिया लगभग 4,133 वर्ग फुट
3. एलिवेटेड रोड के नीचे ऑटो-रिक्शा लेन एवं दोपहिया पार्किंग क्षेत्र का एक भाग लगभग 4,844 वर्ग फुट

▸▸ **सरसपुर साइड**

सरसपुर साइड के होल्डिंग एरिया को दो भागों में विभाजित किया जाएगाः

1. बुकिंग कार्यालय के पास स्थित वर्तमान होल्डिंग एरिया लगभग 3,229 वर्ग फुट
2. बुकिंग कार्यालय एवं कूली मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग का क्षेत्र लगभग 6,458 वर्ग फुट

साबरमती रेलवे स्टेशन

साबरमती स्टेशन पर लगभग 4,000 से 5,000 यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। यातायात के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश एवं निकास द्वारों को अलग-अलग रखा गया है, जिससे भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

इन होल्डिंग क्षेत्रों में पंखों, पेयजल एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे प्लेटफार्मों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके तथा यात्रियों का चरणबद्ध प्रवेश सुनिश्चित हो।

▸▸ **विशेष प्लेटफार्म प्रबंधन योजनाः**

▸▸ अधिकांश होली स्पेशल एवं अधिक भीड़ वाली गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म संख्या 8 से संचालित की जाएंगी, जिससे भीड़ का प्रभावी वितरण सुनिश्चित हो सके।

▸▸ केन्द्रीकृत घोषणा प्रणाली (Centralised Announcement System) को सुदृढ़ किया गया है, ताकि यात्रियों को समय-समय पर आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

▸▸ अतिरिक्त हेल्प डेस्क, टिकट काउंटरों पर पर्याप्त स्टाफ, पेयजल सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था एवं प्रतीक्षालयों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था

▸▸ स्टेशन परिसरों एवं प्रमुख प्लेटफार्मों पर RPF एवं GRP कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी।

▸▸ RPF एवं वाणिज्य स्टाफ को आवश्यक VHF हैंडसेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे त्वरित समन्वय एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। बैग चेकिंग अभियान को सघन रूप से चलाया जाएगा।

▸▸ RPF CCTV कक्ष से ही वार रूम संचालित किया जाएगा, जहाँ से 24x7 निगरानी की जाएगी।

▸▸ सादे वस्त्रों में RPF एवं GRP की CPDS (अपराध रोकथाम एवं जांच दल) टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखेंगी।

▸▸ चौबीसों घंटे CCTV निगरानी प्रणाली सक्रिय रहेगी तथा किसी भी स्थान पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में फील्ड इकाइयों को तत्काल सतर्क किया जाएगा।

वाणिज्य एवं विशेष सहायता प्रबंध

▸▸ मंडल स्तर पर वार रूम का गठन किया गया है, जहाँ से वरिष्ठ अधिकारी 24x7 निगरानी करेंगे।

▸▸ भीड़ की स्थिति में उच्च अधिकारी स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहेंगे।

▸▸ यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेनों एवं अतिरिक्त सेवाओं की जानकारी देने हेतु सोशल मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति, नियमित ट्वीट एवं सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

▸▸ टिकट चेकिंग स्टाफ को अतिरिक्त सतर्कता एवं मार्गदर्शन हेतु निर्देशित किया गया है।

दिव्यांग, वृद्ध एवं अस्वस्थ यात्रियों हेतु विशेष प्रबंध

▸▸ सिविल डिफेन्स टीम को समर्पित सहायता दल के रूप में तैनात किया जाएगा, जो दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं अस्वस्थ यात्रियों को प्लेटफार्म तक पहुँचाने, ट्रेन में चढ़ाने एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

चिकित्सा टीम 24x7 उपलब्ध रहेगी।

▸▸ पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्योहार के दौरान सभी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सोना वायदा में 801 रुपये, चांदी वायदा में 2512 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 5 रुपये की नरमी

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 179287.53 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 23059.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 156225.5 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39911 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1595.95 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17892.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 160769 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 161233 रुपये और नीचे में 160295 रुपये पर पहुंचकर, 161598 रुपये के पिछले बंद के सामने 801 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 160797 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 356 रुपये या 0.28 फीसदी गिरकर 128620 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 44 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 16205 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 158763 रुपये के भाव पर खूलकर, 158992 रुपये के दिन के उच्च और 157851 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 909 रुपये या 0.57 फीसदी गिरकर 158376 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 158503 रुपये के भाव पर खूलकर, 158900 रुपये के दिन के उच्च और 157600 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 159096 रुपये के पिछले बंद के सामने 496 रुपये या 0.31 फीसदी गिरकर 158600 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 267221 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 268130 रुपये और नीचे में 262712 रुपये पर पहुंचकर, 265333 रुपये के पिछले बंद के सामने 2512 रुपये या 0.95 फीसदी औंधकर 262821 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1404 रुपये या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 264370 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 348 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के संग 265942 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3517.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 8.95 रुपये या 0.77 फीसदी की तेजी के संग 1177.4 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा बिना बदलाव के 327 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 85 पैसे या 0.28 फीसदी की नरमी के साथ 305.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 85 पैसे या 0.45 फीसदी टूटकर 186.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1402.77 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 6100 रुपये के भाव पर खूलकर, 6120 रुपये के दिन के उच्च और 6031 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 5 रुपये या 0.08 फीसदी गिरकर 6040 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 2 रुपये या 0.03 फीसदी गिरकर 6044 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 273.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 274 रुपये के दिन के उच्च और 268 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 272.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.2 रुपये या 1.54 फीसदी गिरकर 268.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 4.1 रुपये या 1.5 फीसदी औंधकर 268.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 23059.27 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 156225.5 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 17892.30 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39911 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 951 रुपये पर खूलकर, 10.4 रुपये या 1.09 फीसदी घटकर 942 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9369.43 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8522.87 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2851.16 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 304.23 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 29.30 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 328.20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 528.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 855.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 9.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 1.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9138 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 73201 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 33722 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 399593 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65039 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10616 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 16026 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 54950 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17712 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26919 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39901 पॉइंट पर खूलकर, 40032 के उच्च और 39901 के नीचले स्तर को छूकर, 10 पॉइंट बढ़कर 39911 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1 रुपये की गिरावट के साथ 324 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.9 रुपये की गिरावट के साथ 12.95 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 244 रुपये की गिरावट के साथ 356.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 251.5 रुपये की गिरावट के साथ 70 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 33 पैसे की नरमी के साथ 45.31 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 65 पैसे की नरमी के साथ 4.86 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 1.1 रुपये की गिरावट के साथ 316.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.85 रुपये की बढ़त के साथ 23.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 68.5 रुपये की गिरावट के साथ 163 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1528.5 रुपये की गिरावट के साथ 1735 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.22 रुपये की गिरावट के साथ 43.74 रुपये हुआ।

2027 की जनगणना सटीकता, पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस में बेंचमार्क स्थापित करेगी : मुख्य सचिव श्री एम. के. दास

▸▸ भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण के लिए गांधीनगर में गुजरात में प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स की विशेष बैठक आयोजित हुई

▸▸ राज्य में जनगणना-2027 का द्वि-चरणीय आयोजन : पहले चरण में घर-आवास की जानकारी और दूसरे चरण में जनगणना प्रक्रिया संचालित की जाएगी

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्य सचिव श्री एम.के. दास की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर में भारत सरकार के महानिबंधक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित जनगणना-2027 के प्रथम चरण की तैयारियों के अंतर्गत गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स की विशेष बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने बताया कि जनगणना-2027 सटीकता, पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस में बेंचमार्क स्थापित करेगी। भारत की जनगणना देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यक्रम है। वर्ष 2027 की जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक नीति-निर्णय के लिए ये आंकड़े हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बनेंगे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आगामी विकासोन्मुखी कार्यों में ये आंकड़े आधारभूत सिद्ध होंगे। पहले इस प्रक्रिया में 3 से 4 वर्ष लगते थे, लेकिन डिजिटल टूल्स के उपयोग से इस प्रक्रिया को गति मिलेगी।

श्री एम.के. दास ने आगे कहा कि जनगणना-2027 केवल एक वैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह आधार है जिस पर राष्ट्र के भविष्य की योजना, जनहितोन्मुखी योजनाओं के लक्ष्य तथा विकास की रणनीतियां निर्भर रहेंगी। इसमें राज्य के प्रत्येक जिले तथा शहरी स्तर पर जिम्मेदारी के साथ सूक्ष्म योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने जोड़ा कि राज्य सरकार सर्वोच्च प्रशासनिक तैयारी के साथ जनगणना-2027 को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के महानिबंधक और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि भारत में पहली समकालीन जनगणना वर्ष 1881 में आयोजित की गई थी और उसके बाद वर्ष 2011 तक प्रत्येक दस वर्ष में जनगणना लगातार होती रही है। उन्होंने जनगणना की रणनीति, रोडमैप, कार्यप्रणाली और डिजिटल पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि जनगणना की सफलता जिला कलेक्टरों और महानगर पालिका आयुक्तों के सक्रिय नेतृत्व, समर्थन और निरंतर निगरानी पर निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने बताया कि इस बार महानिबंधक के कार्यालय द्वारा पूरे देश के लिए कई नई पहलें की गई हैं। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग करके जनगणना का कार्य किया जाएगा, जो वास्तविक समय में पारदर्शिता लाएगी और डेटा का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण आसान बनेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार मकान सूचीकरण चरण में भी डिजिटल स्व-गणना की सुविधा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें इस कार्य का महत्वपूर्ण भागीदार बनाने का प्रयास किया जाएगा।

गुजरात के जनगणना निदेशक श्री सुजल मायात्रा ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है, जो भारत की संस्थागत मजबूती को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दस वर्ष में देश की जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़ों की गणना की जाती है, जो संसाधनों के वितरण, शहरी नियोजन, कल्याणकारी योजनाओं और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोड़ा कि आगामी 2027 की जनगणना विशेष इसलिए है क्योंकि यह डेटा-आधारित और टेक्नोलॉजी-सुसज्जित शासन के युग में हो रही है।

इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव श्री आर्द्रा अग्रवाल ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इसके अलावा, बैठक में गुजरात के जनगणना निदेशक कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति के साथ विशेष चर्चा की गई। इसमें एचएलओ फेज -I के अंतर्गत राज्य में मकानों, आवासीय इकाइयों और घरों की विस्तृत सूची तैयार करने की योजना, प्रशिक्षण, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा डिजिटल स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उल्लेखनीय है कि 2027 की जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी, जिसमें पहले चरण में घर सूचीकरण और आवास जनगणना (House Listing & Housing Census) होगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की जाएगी। गुजरात में एचएलओ की प्रक्रिया आगामी अप्रैल-मई 2026 के दौरान शुरू होगी, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन स्वयं जानकारी भरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

इस बैठक में शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के मेट्रो रेल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाले इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

▸▸ 3.33 किमी लंबे विस्तार के साथ तीन एलिवेटेड स्टेशन शुरू होंगे

▸▸ अगले चार वर्षों में इस रूट को पूरा करने का आयोजन

▸▸ गिफ्ट सिटी के साथ इस कनेक्टिविटी से शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक केंद्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अहमदाबाद एवं गिफ्ट सिटी के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को होगा सीधा लाभ

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी को और भी सुगम बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसी) के गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के मौजूदा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से स्थापित और दुनिया भर में फिनटेक हब के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे गुजरात इंटरनेशन फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में बहुराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों सहित गिफ्ट सिटी में संचालित इकाइयों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापारिक केंद्रों के साथ ही अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को इस कनेक्टिविटी का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है।

वर्तमान स्थिति में गुजरात मेट्रो के 68.28 किमी लंबे अहमदाबाद मेट्रो के फेज-1 (एपीएमसी से मोटेरा स्टेडियम (नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर) और थलतेज गांव से वस्त्राल गांव (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) और फेज-2 (मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी) कुल 53 स्टेशनों के साथ सितंबर-2022 (फेज-1) और जनवरी-2026 (फेज-2) से सफलतापूर्वक कार्यरत किए गए हैं, जिसका लाभ रोजाना लगभग 1.60 लाख लोगों को आसान आवाजाही के लिए मिल रहा है।

अब, केंद्रीय कैबिनेट ने गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के 3.33 किलोमीटर लंबे विस्तार को मंजूरी दी है, जिसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। 1067.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना को लगभग चार वर्षों पूरा करने का आयोजन है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी होली के अवसर पर दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे दादर – नई दिल्ली एवं वलसाड – मऊ के बीच विशेष किराये पर दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 04001/04002 दादर – नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 04001 दादर – नई दिल्ली स्पेशल हर शुक्रवार को 00:05 बजे दादर से प्रस्थान कर उसी दिन 21:05 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन 27 फरवरी, 2026 एवं 06 मार्च, 2026 को चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04002 नई दिल्ली – दादर स्पेशल हर बुधवार को 22:40 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान कर अगले दिन 22:40 बजे दादर पहुंचेगी। यह ट्रेन 25 फरवरी, 2026 एवं 04 मार्च, 2026 को चलेगी।

मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, मथुरा एवं कोसी कलां स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर के कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 05018/05017 वलसाड – मऊ स्पेशल (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 05018 वलसाड – मऊ स्पेशल हर रविवार को 15:10 बजे वलसाड से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 01 मार्च एवं 08 मार्च, 2026 को चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05017 मऊ – वलसाड स्पेशल हर शनिवार को 03:45 बजे मऊ से प्रस्थान कर अगले दिन 12:35 बजे वलसाड पहुंचेगी। यह ट्रेन 28 फरवरी एवं 07 मार्च, 2026 को चलेगी।

मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूण्डला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर एवं बेलथरा रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से टली संभावित रेल दुर्घटनाएँ

भावनगर मंडल के तीन कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा 'मैन ऑफ द मंथ' संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

जीएनएस)। रेल संरक्षा के प्रति उत्कृष्ट सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए भावनगर मंडल के कर्मचारियों द्वारा संभावित रेल दुर्घटनाओं को समय रहते टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित किया गया। कर्मचारियों के इस सराहनीय एवं अनुकरणीय योगदान के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार द्वारा मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समारोह में भावनगर मंडल के तीन कर्मचारियों को "मैन ऑफ द मंथ" (जनवरी–2026) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 23 फरवरी, 2026 को मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित किया गया था।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री मो. तैयब (ट्रैक मेंटेनर–IV, धोला जंक्शन), श्री केतन एम. डेर (वरिष्ठ गाड़ी प्रबंधक, जेतलसर जंक्शन) तथा श्री रविंद्र कुमार (ट्रैक मेंटेनर–IV, लोलिया) शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सजगता एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्यप्रणाली से रेल परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार जनवरी–2026 माह के लिए सम्पूर्ण पश्चिम रेलवे क्षेत्र से कुल 12 रेल कर्मचारियों का चयन इस प्रतिष्ठित संरक्षा सम्मान हेतु किया गया, जिनमें भावनगर मंडल के तीन कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया। इन कर्मचारियों की सजगता से ब्रेक बाइंडिंग, ट्रैक दोष तथा रेल फ्रैक्चर जैसी संभावित गंभीर संरक्षा संबंधी घटनाओं को समय रहते रोका जा सका, जिससे रेल परिचालन सुरक्षित एवं निर्बाध बना रहा।

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को श्री मो. तैयब द्वारा गाड़ी संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस–बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के निरीक्षण के दौरान गेट संख्या 176/सी के समीप कोच के पहियों से धुआँ निकलता हुआ देखा गया। उन्होंने तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचना देकर ट्रेन को रुकवाया। जांच के दौरान 'ब्रेक बाइंडिंग' की पुष्टि हुई, जिसे समय रहते दूर कर संभावित दुर्घटना को टाल दिया गया।

इसी प्रकार दिनांक 5 जनवरी, 2026 को श्री केतन एम. डेर द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26901) में यात्रा के दौरान शापुर–लुशाला रेल खंड के मध्य असामान्य झटका महसूस होने पर तत्काल सूचना दी गई। जांच में एसडब्ल्यूआर सेक्शन में 'लो जॉइंट' पाया गया, जिसके पश्चात गति सीमा 75 किमी/घंटा से घटाकर 45 किमी/घंटा निर्धारित की गई तथा सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित किया गया।

दिनांक 3 जनवरी, 2026 को प्रातःकालीन ट्रैक गश्त के दौरान श्री रविंद्र कुमार द्वारा किलोमीटर 100/4-5 के मध्य रेल फ्रैक्चर का पता लगाया गया। उन्होंने तत्काल आपातकालीन जॉइंट प्लेट लगाकर ट्रैक की अस्थायी मरम्मत की तथा ट्रेनों को नियंत्रित गति से सुरक्षित पार कराया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सम्मानित कर्मचारियों की तत्परता, सतर्कता एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि रेल संरक्षा प्रत्येक रेलकर्मी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार की घटनाएँ कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता एवं संरक्षा संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे सम्मान, कर्मचारियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट सेवा एवं सतर्क कार्यप्रणाली के लिए प्रेरित करते रहेंगे तथा भारतीय रेल की संरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

न्यायपालिका में बढ़ती शिकायतें और विश्वास का संकट

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारा भारत, विश्व का सबसे बड़ा देश, चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों में से एक न्यायपालिका है, जिस पर देश के सभी नागरिकों का अटूट विश्वास है। निर्वाचित सदस्यों से लेकर प्रशासन तक, इन स्तंभों ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार से ग्रसित हो चुके हैं।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

देश का मीडिया भी अपने भ्रष्ट आचरण के कारण जनता का विश्वास खो चुका है। ऐसे में न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अधिकांश नागरिकों का पूर्ण विश्वास है, लेकिन अब इस सम्मानित न्यायपालिका के बारे में आ रही खबरें चौंकाने वाली हैं। भारत में न्यायपालिका को न्याय का मंदिर माना जाता है, जहां विवादों का समाधान होता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसी भी कठिन या जटिल परिस्थिति में न्यायपालिका ही नागरिकों का अंतिम सहारा होती है। लेकिन यदि न्यायिक अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठते हैं, तो

न्याय की उम्मीद पर लोगों का भरोसा कहाँ टिकेगा?

यह चिंता सरकारी आंकड़ों से उपजी है, जिनसे पता चलता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को 2016 से अब तक मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने स्वयं लोकसभा में बताया कि न्यायाधीशों सहित न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें 2024 में दर्ज की गईं। इससे पता चलता है कि यह प्रवृत्ति समय के साथ बढ़ रही है। पिछले दशक में प्राप्त तदर्थ शिकायतें निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में न्यायपालिका से निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसीलिए यह जनता के लिए साहस और विश्वास का स्रोत है। पिछले साल मार्च में दिल्ली के एक जज के आवास से मिले जले हुए नोटों के बंडलों के मामले में जांच में कोई खास प्रगति न होने पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। माना जाता है कि अगर इस मामले में कोई प्रशासनिक अधिकारी या आम नागरिक शामिल होता, तो जांच प्रक्रिया अब तक काफी आगे बढ़ चुकी होती। ऐसी स्थिति में एक अहम कारक उच्च न्यायालयों के जजों की भागीदारी वाली जांच और अभियोजन प्रक्रिया की जटिल संरचना है। न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए इसे सरल और स्पष्ट बनाना आवश्यक है।

380 करोड़ का IPO लेकर आई रेवा डायमंड ज्वेलरी, 4 मार्च को संभावित लिस्टिंग

नई दिल्ली। भारत के तेजी से विकसित हो रहे ज्वेलरी सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए PNGS Reva Diamond Jewellery Limited ने 380 करोड़ का अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के लिए खोल दिया है। यह IPO निवेशकों के लिए 26 फरवरी तक खुला रहेगा और कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग 4 मार्च को देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE Limited और National Stock Exchange of India पर होने की संभावना है। यह कदम कंपनी के विस्तार, ब्रांड सुदृढ़ीकरण और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है। IPO के पहले दिन निवेशकों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही और दोपहर तक इश्यू को लगभग 0.05 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन ही प्राप्त हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक अभी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं।

कंपनी ने अपने IPO के लिए 367 से 386 प्रति शेयर का प्राइस बैंड निर्धारित किया है, जो ज्वेलरी उद्योग में कंपनी की वर्तमान बाजार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 32 शेयरों का एक लॉट है, जिसका अर्थ है कि खुदरा निवेशकों को कम से कम 11,744 से 12,352 तक का निवेश करना होगा। इस IPO के माध्यम से कंपनी कुल 98.44 लाख नए इक्विटी शेयर जारी कर रही है, जिससे प्राप्त पूंजी का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसाय विस्तार, नई रिटेल शाखाओं की स्थापना, ब्रांडिंग, तकनीकी उन्नयन और परिचालन दक्षता बढ़ाने में किया जाएगा। शेयर आवंटन की प्रक्रिया 27 फरवरी को पूरी होने की संभावना है, जबकि सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 2 मार्च तक जमा कर दिए जाएंगे।

IPO संरचना के अनुसार, कुल इश्यू का 75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए आरक्षित किया गया है, जो बड़े वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंड्स और विदेशी निवेशकों को शामिल करता है। इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए और 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में Smart Horizon Capital Advisors को नियुक्त किया गया है, जो निवेश प्रक्रिया का प्रबंधन और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं, IPO से संबंधित तकनीकी और निवेशक सेवा कार्यों के लिए Bigshare Services Pvt Ltd को रजिस्ट्रार बनाया गया है, जो शेयर आवंटन और निवेशकों के रिकॉर्ड का प्रबंधन करेगा।

IPO लॉन्च से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 170.58 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि जुटाई, जो इस बात का संकेत है कि बड़े निवेशकों ने कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास जताया है। एंकर निवेशकों की भागीदारी किसी भी IPO की सफलता का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह बाजार में विश्वास और स्थिरता प्रदान करती है। हालांकि, कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के राजस्व और मुनाफे में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसके साथ ही कंपनी के कर्ज में वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। हालांकि, कंपनी प्रबंधन का कहना है कि IPO से जुटाई गई पूंजी का उपयोग कर्ज कम करने, नए बाजारों में विस्तार करने और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे भविष्य में लाभप्रदता में सुधार की उम्मीद है।

भारत का ज्वेलरी उद्योग पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है और इसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ती आय, शहरीकरण, ब्रांडेड ज्वेलरी की बढ़ती मांग और डिजिटल रिटेलिंग के विस्तार ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। PNGS Reva Diamond Jewellery Limited जैसे ब्रांड इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं और संगठित ज्वेलरी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी की रणनीति में नए शोरूम खोलना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूत करना और ग्राहकों को आधुनिक डिजाइनों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल है।

IPO निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, बाजार प्रतिस्पर्धा, सोने और हीरे की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और उपभोक्ता मांग जैसे कई कारक भविष्य में कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए निवेशकों को IPO में निवेश करने से पहले कंपनी के वित्तीय दस्तावेज, जोखिम कारक, और उद्योग की स्थिति का गहन विश्लेषण करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्वेलरी उद्योग में दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं मजबूत हैं, लेकिन निवेश का निर्णय हमेशा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, 380 करोड़ का यह IPO PNGS Reva Diamond Jewellery Limited के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करती है और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करती है, तो यह निवेशकों के लिए दीर्घकालिक लाभ का अवसर प्रदान कर सकता है। आने वाले दिनों में IPO की सब्सक्रिप्शन स्थिति और लिस्टिंग के बाद शेयर का प्रदर्शन यह तय करेगा कि निवेशकों ने इस अवसर को किस प्रकार स्वीकार किया है और कंपनी भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

"फाल्गुन फेरी" के उपलक्ष्य में 01 मार्च को पालीताना से बान्द्रा के लिए चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, टिकट बुकिंग 25 फरवरी से शुरू होगी

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा "फाल्गुन फेरी" के अवसर पर पालीताना जैन मंदिर में होने वाली क्षद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर पालीताना और बान्द्रा टर्मिनस के बीच एक और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संचालन विवरण:

बान्द्रा टर्मिनस से पालीताना के लिए चलने वाली बान्द्रा-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09013) दिनांक 28 फरवरी, 2026 (शनिवार) को बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 11.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 00.50 बजे पालीताना पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में पालीताना-बान्द्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09014) दिनांक 01 मार्च, 2026 (रविवार) को पालीताना से दोपहर 15.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन प्रातः 05.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर (गुजरात), सोनगढ़, धोला, बोटाद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास के कोच उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग संबंधी जानकारी :

ट्रेन संख्या 09013 एवं 09014 की बुकिंग दिनांक 25 फरवरी, 20206 (बुधवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जनजातीय क्षेत्र नर्मदा जिले में रोड कनेक्टिविटी को अधिक सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री ने 11 गांवों के 18 हजार से अधिक लोगों को जिला एवं तहसील मुख्यालय तक आगागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए नर्मदा जिले में 2 नए पुलों के लिए 302.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनजातीय क्षेत्र नर्मदा जिले के 11 गांवों के 18 हजार से अधिक लोगों को जिला और तहसील मुख्यालय तक आवागमन के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से नर्मदा जिले में 2 नए पुलों के निर्माण के लिए 302.40 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी है। तदनुसार, नर्मदा जिले के रेंगण घाट से रामपुरा घाट पर पुल निर्माण के लिए 123.13 करोड़ रुपए और शहेराव घाट से तिलकवाड़ा घाट को जोड़ने वाले पुल के लिए 179.27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

जनजातीय क्षेत्र नर्मदा जिले में इन दो पुलों के निर्माण से उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के तिलकवाड़ा, वासण, रेंगण, रामपुरा, मांगरोल और शहेराव सहित

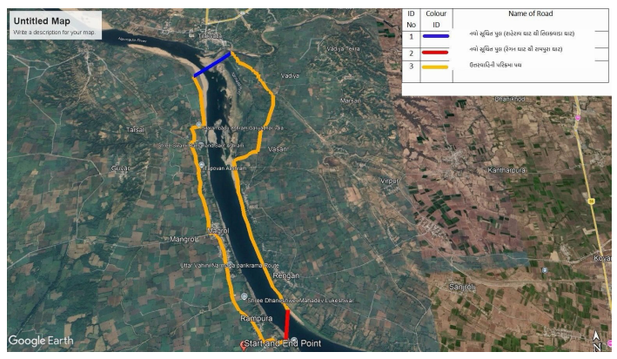

अन्य गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी आवागमन सुगम हो जाएगा तथा इन क्षेत्रों से स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को मानसून के दिनों में भी आने-जाने के लिए बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध होगी।

इतना ही नहीं, नांदोद और तिलकवाड़ा तहसील में हर साल चैत्र महीने के दौरान आयोजित होने वाली उत्तरवाहिनी परिक्रमा में आने वाले परिक्रमा यात्रियों को भविष्य में इन दोनों पुलों का लाभ मिलने से कुल 17 किलोमीटर की दूरी कम होगी, साथ ही समय और ईंधन की भी बचत होगी।